तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज माधवदास v/s दुर्गादेवी	नम्बर अहकाम हुक्म में ज...
6/6/19	...पत्रावली पेश हुई। पी. अ. अवकाश, प्र. कार्यों व व्यस्त। आयन्दा पत्रावली दिनांक 20/6/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20/6/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा बढ़ाने का निवेदन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी दिनांक 25/7/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **लूणकरणसर**	
25/7/19	...पत्रावली पेश हुई। पी. अ. अवकाश, प्र. कार्यों में व्यस्त। आयन्दा पत्रावली दिनांक 31/7/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) पुनश्च: जवाब अप्रार्थीगण शामिल पत्रावली किया गया। (हस्ताक्षर)	
26/7/19	अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय RAA का एक निर्णय पेश किया जिसके मुताबिक दिनांक 31/7/19 से पूर्व सीमाज्ञान विवादित रकबे का करवाना जाना है अतः पत्रावली तारीख पेशी में लेकर TDR LRS को 31/7/19 से पूर्व सीमाज्ञान हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 31/7/19 को पेश हो।	
31/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार द्वारा गठित टीम द्वारा किए गए सीमाज्ञान की Report प्राप्त हुई। संलग्न पत्रावली की गई। बहस वकील उभयपक्ष ~~सुनी गई~~ मूल प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णयानुसार तहसीलदार लूणकरणसर ने टीम गठन करके सीमाज्ञान (हस्ताक्षर)	

(1)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मथुरादास v/s दुर्गादेवी	
	रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मुताबिक सीमाज्ञान अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर लिया है जो कि सीमाज्ञान रिपोर्ट में स्पष्ट परिलक्षित किया गया है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण की भूमि में दखलदांजी नहीं करें एवं किए गए कब्जे से मुक्त प्रार्थीगण की भूमि को मुक्त करें। वकील अप्रार्थीगण के वकील ने निवेदन किया कि हम हमारी सीमाओं में ही स्थित है तथा प्रार्थीगण सीमाज्ञान की आड़ में अप्रार्थीगण को बेदखल करना चाहता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। चूंकि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थीगण के कथनों के अनुसार ही तहसीलदार द्वारा किए गए सीमाज्ञान की रिपोर्ट प्राप्त हुए है अतः मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होता है। प्राप्त सीमाज्ञान रिपोर्ट में स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी की भूमि का कुछ हिस्सा दबा कर रखा है तथा न्यायालय द्वारा के आदेशिका दिनांक 3/5/19 को उभयपक्षों की सहमति से सीमाज्ञान के	

Scanned by CamScanner

(3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मधपाल v/s दुर्गादेवी	
	आदेश निरगार थे उस सीमाज्ञान की आड़ में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि पर दखल किया है इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करेंगे तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निर्धारित तीनों आयामों के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित होगा। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को इस हेतु पाबंद किया जाता है कि तादौराने वाद वादग्रस्त भूमि रोही मौजा जमवेनगर के मूल खसरा नं. पुराना 36/239/2 तादादी 10 बीघा, जिसके नये खसरा नं. 139 तादादी 2.53 है., पुराने खसरा नं. 38/251/2 तादादी 10 बीघा जिसके नए खसरा नं. 156 तादादी 2.53 है. कुल तादादी 20 बीघा (5.06 है.) में वाद के प्रारम्भ दिनांक 15/4/19 की स्थिति में मौके व कब्जे एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। फैसला आज दिनांक 3/7/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। 3/7/19	